:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— अनील कुमार जैन

मूकदमा नम्बर 25/20

1. श्री सत्यनारायण पुत्र रीछा जाति चमार निवासी नयागॉव गोबर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रतना पिता गलापा चमार
2. श्री कुबेर पिता गलापा चमार
3. श्री हलिया पिता गलापा चमार
4. श्री मदन पिता हलिया चमार
5. श्री रमेश पिता हलिया चमार
6. श्री अभय सिंह पिता हलिया चमार निवासी नयागावगोबर
7. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने, अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट।
प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने।

उपस्थित :—
1. श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 20/04/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव नयागोबर के खसरा सख्या 33,34 का रकबा 0.2914 व 0.2833 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है उक्त आराजी की सीमा को लेकर अप्रार्थीगण विवाद कर रहे है। अतः वाद विवाद नहीं हो इस आश्य से पत्थरगढी करवाना चाहता हू प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को तलब किया गया, अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, चुकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थथर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हो के साथ कराना चाह रहा है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीमलवाडा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आठ सौ रूपये फिस लेकर पडौसीगण को तलब कर पत्थर घडि के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव नयागोबर के खसरा सख्या 33,34 का रकबा 0.2914 व0.2833 हैक्टेयर भूमि की **पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगा कर की जावे तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करे।**

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 20/04/2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी 20/4